



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 28—फरवरी 3, 2018, शनिवार/माघ 8—माघ 14, 1939  
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2018, SATURDAY/MAGHA 8—MAGHA 14, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)  
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 2.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (अग्निशमन) पद भर्ती नियम, 1998, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, में समूह 'ग' (अग्निशमन) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (फायर इंजन ड्राइवर 'क', फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'ग') पद, भर्ती नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों में उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.—**वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखाबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
फायर इंजन ड्राइवर 'ग'	30* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन पद है अथवा अचयन पद (5)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ। (7)
स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। (9)	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

**प्रोन्नति :**

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे फायर इंजन ड्राइवर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो या फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'क' में तेरह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और फायर टेंडर के संचालन, रखरखाव और छोटी मोटी मरम्मत पर निर्धारित परीक्षण को उत्तीर्ण किया हो।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हकता पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना बताएं।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' प्रोन्नति पर विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति-II जिसमें शामिल हैं:—	आवश्यक नहीं है।
1. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के निदेशक या प्रधान -अध्यक्ष	
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है -सदस्य	
3. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-II -सदस्य	

(1)	(2)	(3)
2. फायर इंजन ड्राइवर 'ख'	25* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिदीय अनौद्योगिक

(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :**

वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2 में ऐसे फायर इंजन ड्राइवर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और छोटी मोटी मरम्मत सहित फायर टेंडर ऑपरेशन और रखरखाव से संबंधित निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

(13)

**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-II (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-**

आवश्यक नहीं है।

1. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन या स्थापना या प्रयोगशाला का निदेशक या प्रधान - अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I अथवा वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है -सदस्य
3. संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-II -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3.फायर इंजन ड्राइवर 'क'	25* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2

(5)	(6)	(7)
अचयन पद	18-27 वर्षों के बीच (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  <b>नोट :</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारतीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू का लद्दाख डिवीजन तथा	अनिवार्य i. मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ii. दो अथवा तीन पहिए और हल्के तथा भारी वाहनों के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक, तथा iii. यातायात विनियमों की जानकारी iv. शारीरिक स्वस्थता और श्रमसाध्य कर्तव्य करने की क्षमता।

कश्मीर राज्य, लाहोल तथा स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उपखंड लक्ष्यद्वीप का अण्डमान तथा निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>नोट :</b> सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष <b>नोट :</b> उनको अपने स्थायीकरण से पहले अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित होने वाले अग्निशमन के सामान्य पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-II :- (प्रोन्नति तथा स्थायीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला की विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह का आयोजन करने के लिए नामित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन या प्रयोगशाला या स्थापना के निदेशक या प्रमुख <b>-अध्यक्ष</b></li> <li>संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या वैज्ञानिक 'बी' <b>-सदस्य</b></li> <li>ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। <b>-सदस्य</b></li> </ol>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एफईडी/सी/पी/01/2319/रक्षा (अनु. एवं वि.)/17]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 28th December, 2017

**S.R.O. 2.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Group 'C' (Fire Service) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

**1. Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Engine Driver 'A', Fire Engine Driver 'B' and Fire Engine Driver 'C') posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.** - No person, —

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**SCHEDULE**

Name of Post (1)	Number of Post (2)	Classification (3)	Level in pay matrix (4)
1. Fire Engine Driver 'C'	30* (2017)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Level-5(Rs.29200-92300)

Whether selection post or Non-selection post (5)	Age Limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)
Non- Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. (8)	Period of probation, if any. (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method. (10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made (11)
<b>Promotion:</b> Fire Engine Driver 'B' post in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Fire Engine Driver 'B' and Fire Engine Driver 'A' and have passed the prescribed test on operation, maintenance and minor repairs of fire tenders.
<b>Note 1:-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee-II for considering promotion consisting of:</b></p> <p>1. Director or Head of the one of the Defence Research and Development Organisation or Establishments or Laboratories. —Chairman</p> <p>2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</p> <p>3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</p>	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Fire Engine Driver 'B'	25* (2017)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Level-4 (Rs.25500-81100)

(5)	(6)	(7)
Non- Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Promotion

(11)
<p><b>Promotion:</b> - Fire Engine Driver 'A' in Level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade and have passed the prescribed test related to fire tender operation and maintenance including minor repairs.</p>
<p><b>Note 1:-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee-II (for promotion) consisting of :</b></p> <p>1. Director or Head of the one of the Defence Research and Development Organisation or Establishments or Laboratories —Chairman</p> <p>2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</p> <p>3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</p>	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Fire Engine Drive 'A'	25*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial Non-Industrial,	Level-2 in the pay matrix

(5)	(6)	(7)
Non-selection post.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).	Essential: (i) Pass in 10 <sup>th</sup> standard from a recognised board. (ii) Possession of a valid driving licence for two or three wheelers and light and heavy vehicles, and (iii) Knowledge of Traffic regulations. (iv) Physical fitness and capability for strenuous duties. <b>Note 1:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years Note:- They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety successfully before their confirmation	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee-II:— (For promotion and confirmation) consisting of :-</b> 1. Director or Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory or Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-II or Scientist 'B' from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. —Member 3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group. —Member	Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RRs/FEDs /C/P/01/2319/D (R&amp;D)/17]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

का.नि.आ. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वायुसेना, (आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-